न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2016 (डूंगरपुर आर्डर)

होटल दिशांक पैलेस प्रोपराईटर भूवेश लबाना पिता पूनमचन्द लबाना, निवासी डूंगरपुर, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भूराजस्व अधि. 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर, डूंगरपुर कमांक/
राजस्व/2011/1659 दि. 08.06.2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2– पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक

06–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–06–2011 से मौजा डूंगरपुर की आराजी नंबर 914 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत् अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–05–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त आदेश दिनांक 08–06–2011 मूल आदेश संलग्न

नहीं है, न ही फोटो प्रति ही संलग्न है, जबकि इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के साथ उक्त आदेश की सत्य प्रति प्रस्तुत की गयी है। वांछित आदेश की मूल प्रति हेतु न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को लगातार लिखने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वांछित मूल आदेश या उस आदेश बाबत् कोई प्रत्युत्तर इस न्यायालय को नहीं भिजवाया गया है। प्रकरण काफी पुराना होने से इस परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष की सहमति से बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आदेश से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी न ही उसे सुना गया। दिनांक 20–03–2016 को जब कुछ लोग मौके पर सफाई करने आये तो अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि उक्त अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसे कण्डोन कराने के लिए अपीलान्ट ने मुख्य आधार यह लिया कि दिनांक 20–03–2016 को कुछ लोग मौके पर सफाई करने आये तब उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई, जबकि उसके द्वारा इसी न्यायालय में इसी भूमि बाबत् प्रस्तुत अन्य अपील संख्या 1/2016 में उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 09–02–2016 को कुछ लोग मौके पर सफाई करने आये तब उसे उक्त आदेश की जानकारी हुई। उक्त दोनों कथन आपस में विरोधाभाषी कथन है, जो 5 वर्षो के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। जबकि अपील देरी से प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08–06–2011 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर